



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2005/कार्तिक 6, 1927

No. 442]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2005/KARTIKA 6, 1927

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2005

सा.का.नि. 649(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के नियम 4 में खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं ; और उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे (या उसके भाग) के लिए पाँच रुपये की फीस।”

[फा. सं. 34012/8(एस)/2005-स्थापना (ख)]

टी. जैकब, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 16-9-2005 की अधिसूचना संख्या-34012/8(एस)/2005-स्थापना (ख) [दिनांक 1-10-2005 की संख्या सा.का.नि. 336, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)] द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRA-ORDINARY DATED THE 27<sup>TH</sup> OCTOBER, 2005)

Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions  
(Department of Personnel and Training)

New Delhi, dated the 27<sup>th</sup> October, 2005

**Notification**

G.S.R.....(E). In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely :-

**1. Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, in rule 4, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely.-

"(d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five for each subsequent hour (or fraction thereof)."

[F.No. 34012/8(s)/2005-Estt. (B)]

(T.Jacob)  
Joint Secretary to the Government of India

Note.- The Principal rules were published in the Gazette of India vide Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) notification No. 34012/8(s)/2005-Estt. (B) dated 16th September, 2005 [G.S.R. No. 336 dated 1st October, 2005, Part II, section 3, sub-section (i)]

(T.Jacob)  
Joint Secretary to the Government of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri, New Delhi.